



IBPS

BANK-PO

प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा

भाग – 4

बैंकिंग अध्ययन, अर्थशास्त्र एवं सामान्य ज्ञान



(1) बैंकिंग अध्ययन

(1) भारत में बैंकिंग का इतिहास	1
(2) भारत में बैंकिंग की संरचना	5
(3) भारतीय वित्तीय तंत्र	32
(4) व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्य	38
(5) मौद्रिक एवं शाख नीति	40
(6) नियामक निकाय SEBI, IRDA etc	44
(7) राजकोषीय नीति एवं बजट (शामान्य एवं वर्तमान)	49
(8) भारतीय पूंजी एवं मुद्रा बाजार	58
(9) भारत की प्रमुख सरकारी योजनाएँ	65
(10) वित्तीय समावेशन एवं PSL	70
(11) बेशर्त मानदण्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	75
(12) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन	78
(13) बैंकिंग शब्दावली	89
(14) विविध	105

- देश एवं उनकी मुद्रायें
- पुस्तक एवं लेखक
- खेलकूद एवं उनके पुरस्कार
- महत्वपूर्ण दिवस
- टीजर दर
- नेगोशियेबल इंस्ट्रुमेंट्स
- माइक्रो फाइनेंस
- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र
- **UNO** (संयुक्त राष्ट्र संघ)
- कृषि

(2) अर्थशास्त्र

(1) सामान्य परिचय	122
(2) अर्थशास्त्र के क्षेत्र	123
(3) बाजार आधारित मूल्य निर्धारण	127
(4) राष्ट्रीय आय	127
(5) मुद्रास्फीति	130
(6) बैंकिंग एवं NPA	133
(7) माल एवं सेवा कर (GST)	143
(8) व्यापार नीति एवं FDI	146
(9) विनियम दर	151
(10) वित्त आयोग	153
(11) शार्वजनिक वितरण प्रणाली, M.S.P. एवं ई-कॉमर्स	154
(12) बेरोजगारी एवं गरीबी	157
(13) आर्थिक विकास	159
(14) पंचवर्षीय योजनाएं	161
(15) महत्वपूर्ण तथ्य	163

(3) सामान्य ज्ञान

165

बैंकिंग अध्ययन

1. भारत में बैंकिंग का इतिहास (History of Banking in India)

भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास को निम्न छः चरणों में विभाजित किया जा सकता है-

1. प्रथम अवस्था (First Phase) (सन् 1806 तक)

7वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल के साथ ही भारतीय साहूकारी वित्त व्यवस्था को गम्भीर आघात लगा। इसका मुख्य कारण यह था कि साहूकार अंग्रेजी भाषा एवं ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली से परिचित नहीं थे। अतः इनके स्थान पर धीरे-धीरे भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास होने लगा। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी (East India company) ने मुम्बई तथा कोलकाता में कुछ एजेंसी गृहों (Agency houses) की स्थापना की थी। एजेंसी गृह आधुनिक बैंकों की भाँति कार्य किया करते थे। इन एजेंसी गृहों का वित्त पोषण ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता था। इन एजेंसी गृहों का मुख्य कार्य ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दैनिक आवश्यकताओं के लिए रुपया उधार देना, कृषि उपज की बिक्री के लिए ऋण देना, कागजी मुद्रा का निर्गमन करना तथा लोगों से निक्षेप (Deposits) स्वीकार करना था। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक विदेशी पूँजी के सहयोग से एलेक्जेंडर एण्ड कम्पनी द्वारा बैंक ऑफ हिन्दुस्तान के नाम से 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, किन्तु यह बैंक शीघ्र ही असफल हो गया। इस प्रकार 1806 से पूर्व भारत में बैंकों का कार्य इन एजेंसी गृहों द्वारा ही सम्पन्न किया जाता था।

2. द्वितीय अवस्था (Second Phase) (सन् 1806 से 1860 तक)

सन् 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, सन् 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मुद्रारा की स्थापना की गई। यद्यपि यह, तीनों बैंक निजी, शेयरहोल्डरों (विशेष रूप से विदेशी व्यक्तियों) के बैंक थे तथापि तीनों बैंकों की शेयर पूँजी में सरकार का भी कुछ हिस्सा था। अतः सरकार इन तीनों बैंकों पर नियन्त्रण रखती थी। इन बैंकों को सरकारी बैंक के सभी अधिकार प्राप्त थे, किन्तु 1862 के बाद भारत सरकार ने इन बैंकों से नोट जारी करने का अधिकार वापस ले लिया। सरकारी बैंके होने के कारण सरकार द्वारा इनके कार्यों पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगाए गए थे। यह बैंक अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नहीं दे सकते थे तथा इनके द्वारा दिए गए ऋणों-की समयवधि छः महीने से

अधिक नहीं हो सकती थी। इन्हें विदेशी बिलों का क्रय-विक्रय करने का अधिकार भी नहीं था। आगे चलकर सन् 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया (Imperial Bank of India) की स्थापना की गई और जुलाई, 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रख दिया गया।

3. तृतीय अवस्था (Third Phase) (1860 से 1913)

भारत सरकार द्वारा सन् 1860 में एक संयुक्त पूँजी कम्पनी अधिनियम पारित किया गया। इसके अन्तर्गत, बैंकों का सीमित देयता (Limited Liability) के आधार पर गठन किया जा सकता था। इस कानून के फलस्वरूप भारत में संयुक्त पूँजी वाले बैंकों की स्थापना में बहुत सहायता मिली थी। परिणामतः देश में अनेक संयुक्त पूँजी बैंक स्थापित हो गए। उनमें प्रमुख बैंक थे-

इलाहाबाद बैंक (1865), एलाइन्स बैंक ऑफ शिमला (1881), अवध कॉमर्शियल बैंक (1881), पंजाब नेशनल बैंक (1894), पीपुल्स बैंक ऑफ इण्डिया (1901) सीमित देयता के आधार पर 1881 ई. में स्थापित अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्णरूप से भारतीय देश का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। 20वीं शताब्दी के अंत तक (सन् 1900 तक) भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी थी, किन्तु 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ अर्थात् 1906 के बाद बैंकिंग का देश में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। मुख्य रूप से उत्तरी भारत में नए बैंकों का जाल-सा बिछाया गया था। इसका मुख्य कारण देश में स्वदेशी आन्दोलन का प्रारम्भ किया जाना था। इस

आन्दोलन के कारण लोगों ने अंग्रेजी बैंकों का बहिष्कार करके भारतीय बैंकों के साथ व्यवसाय करना प्रारम्भ कर दिया था। इसी अवधि में देश के तत्कालीन चार बड़े-बैंकों ऑफ इण्डिया (1906) बैंक ऑफ बडौदा (1908) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (1911) एवं बैंक ऑफ मैसूर (1913) की स्थापना की गई और अन्य छोटे बैंकों की संख्या 500 तक पहुँच गई।

4. चतुर्थ अवस्था-(Fourth Phase) (सन् 1913 से 1939 तक)

1913 से 1917 काल भारत में बैंकिंग संकट (Banking Crisis) का काल माना जाता है। प्रथम महायुद्ध (1914-18) के प्रारम्भ होने के साथ ही, भारतीय बैंकिंग की इस तीव्र वृद्धि का क्रम अवरूद्ध हो गया। सन् 1913 में अनेक भारतीय बैंक असफल हो गये। भारतीय बैंकों से जनविश्वास समाप्त होने की

वजह से जमाकर्ताओं द्वारा अपने निक्षेप निकालने प्रारम्भ कर दिए गए तथा भारतीय मुद्रा बाजार में मुद्रा की बहुत कमी हो गई थी। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् देश में पुनः बैंकिंग विकास की दर तेज हुई। सन् 1917 में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई सन् 1921 में तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई। बाद में सन् 1955 में उस बैंक का आंशिक राष्ट्रीकरण कर दिया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का नाम दिया गया।

तीसरा की विश्वव्यापी महान मंदी ने भी तत्कालीन भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, फिर भी विकास का क्रम जारी रहा। सन् 1930 में ही केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति का गठन किया गया। समिति का सुझाव था कि देश में एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना तथा एक व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे कि बैंकों के संगठन, प्रबन्ध, अंशेक्षण तथा समापन के लिए व्यापक व्यवस्था की जा सके। सन् 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट पारित किया गया तथा अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, किन्तु बैंकिंग नियमन अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

5. पंचम अवस्था (Fifth Phase) (सन् 1939 से 1946 तक)

यह अवधि बैंकिंग विस्तार की अवधि कही जा सकती है द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न मुद्रा प्रसार के कारण जन सामान्य की मौद्रिक आय में वृद्धि हो गई फलतः सभी बैंकों के निक्षेप (Deposits) बढ़ गए। युद्धकाल में बढ़ती हुई आर्थिक समृद्धि का लाभ उठाने के लिए पुराने बैंकों ने नई-नई शाखाओं की स्थापना की तथा नए-नए बैंकों की भी स्थापना की गई। भारत यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक तथा हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक आदि की स्थापना भी इसी काल में हुई थी। युद्धकाल में बैंकों की निवेश नीति (Investment policy) में कुछ आघातमूलक परिवर्तन हुए थे। बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में पहले की अपेक्षा अधिक धन लगाना प्रारम्भ कर दिया था। युद्ध के पूर्व भारत के अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks) अपने निवेश योग्य धन का लगभग 54% सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया करते थे, परन्तु युद्धकाल में उन्होंने इसे बढ़ाकर 61% कर दिया था। इसी प्रकार भारतीय बैंकों ने पहले की अपेक्षा अधिक नकद-कोष (Cash Reserves) रखने प्रारम्भ कर दिए थे। युद्ध के पूर्व वे अपने निक्षेपों का लगभग

प्रतिशत नकद-कोष के रूप में रखा करते थे, परन्तु युद्धकाल में उन्होंने इसे बढ़ाकर 25% कर दिया था।

6. षष्ठम् अवस्था (Sixth Phase) (सन् 1947 से अब तक)

भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ग्रुप इण्डिया को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 1 जनवरी, 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा भारतीय बैंकिंग का समन्वित नियमन करने के लिए मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। देश के ग्रामीण, क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का नाम 1 जुलाई, 1955 को आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कर दिया गया। इसके साथ अन्य 8 (जो वर्तमान में 5 हैं) बैंकों को इसके सहायक बैंक के रूप में बदल दिया गया इसका नाम जिन्हें 'स्टेट बैंक समूह' के बैंक कहा जाता है।

ये बैंक निम्नलिखित हैं-

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड-जयपुर (पहले स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर दोनों अलग-अलग थे। दोनों के कार्य क्षेत्रों में एक रूपता होने के कारण इन्हें स्टेट बैंक ऑफ-बीकानेर एण्ड जयपुर में बदल दिया गया।)
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
4. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
5. स्टेट बैंक ऑफ तमिळुनाडु
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर

उपर्युक्त सात बैंकों में से स्टेट बैंक ऑफ तमिळुनाडु का जुलाई 2008 में तथा स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर का जून 2009 में SBI में विलय करने के निर्णय के फलस्वरूप SBI समूह में पाँच बैंक ही रह जाएँगे।

बैंकों को और अधिक समाजोपयोगी बनाने के उद्देश्य से, देश के ऐसे 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रीकरण कर दिया गया, जिनकी जमाएँ 50 करोड़ रूपए से अधिक थीं। ये बैंक थे-

- (1) सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, (2) बैंक ऑफ इण्डिया, (3) पंजाब नेशनल बैंक, (4) केनरा बैंक, (5) यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, (6) रिंडीकेट बैंक, (7) बैंक ऑफ बडौदा, (8) यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, (9) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, (10) देना

बैंक, (11) इलाहाबाद बैंक, (12) इण्डियन बैंक, (13) इण्डियन क्रोवरीज बैंक, (14) बैंक ऑफ महाराष्ट्र।

एक दशक पश्चात् 5 अप्रैल, 1980 को पुनः 6 उन निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमाएँ 200 करोड़ रूपए से अधिक थीं।

ये बैंक निम्नलिखित थे-

(1) आन्ध्रा बैंक, (2) पंजाब एण्ड सिंध बैंक, (3) न्यू बैंक ऑफ इण्डिया, (4) विजया बैंक, (5) कॉर्पोरेशन बैंक, (5) क्रोएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स।

4 दिसम्बर, 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से घटाकर 19 रह गई।

चरण	स्थापित बैंक	वर्ष
प्रथम चरण	बैंक ऑफ हिन्दुस्तान	1770
द्वितीय चरण	बैंक ऑफ बंगाल	1806
	बैंक ऑफ बॉम्बे	1840
तृतीय चरण	बैंक ऑफ मद्रास	1843
	इलाहाबाद बैंक	1865
	एलाइंस् बैंक ऑफ शिमला	1881
	श्रवध कॉमर्शियल बैंक	1881
	पंजाब नेशनल बैंक	1894
	बैंक ऑफ इंडिया	1906
	बैंक ऑफ बडौदा	1908
	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1911
	बैंक ऑफ मैसूर	1913
	चतुर्थ चरण	इम्पीरियल बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक		1935
पांचवा चरण	यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक	
	हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक	
षष्ठम चरण	भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण	1 जनवरी, 1949
	भारतीय स्टेट बैंक	1955
	भारतीय औद्योगिक बैंक	1964
सप्तम	आईसीआईटीआई,	

चरण	एचडीएफसी, एक्सिस, बैंक आदि।
-----	-----------------------------

भारतीय वाणिज्यिक बैंक (Commercial Bank of India)

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के पंजीकृत बैंकों को वाणिज्यिक बैंक की संज्ञा दी गई। इन बैंकों को भारतीय बैंक विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा शाखित किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों से आशय उन बैंकों से है जो देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालीन वित्त उपलब्ध कराते हैं।

वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण

(Classification Of Commercial Banks):-

भारत में वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण संवैधानिक तथा स्वामित्व के आधार पर किया गया है। संवैधानिक आधार पर वाणिज्यिक बैंकों को अनुसूचित बैंक तथा गैर-अनुसूचित बैंकों में विभाजित किया जाता है।

अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank):

ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक की संज्ञा दी जाती है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक की दृष्टि अनुसूची में सम्मिलित किया गया। अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त करने के लिए बैंको को निम्नवत शर्तें पूरी करनी होती हैं-

- बैंक की प्रदत्त पूँजी तथा संचित राशि 5 लाख रूपए से कम नहीं होनी चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो कि इन बैंकों द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे जमाकर्ताओं का अहित हो।
- यह एक संयुक्त पूँजी कम्पनी होनी चाहिए न कि एकल व्यापारी अथवा साझा फर्म। इसके अतिरिक्त इन बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद रूप से रखना पड़ता है तथा बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के पास समय-समय पर विवरण-पत्र भी भेजना पड़ता है।


अनुसूचित बैंक को निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं-

- (1) वह बैंक रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है।
- (2) प्रत्येक अनुसूचित बैंक स्वतः ही समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त कर लेता है।
- (3) ऐसे बैंकों को रिजर्व बैंक प्रथम श्रेणी के विनियम पत्रों की पुनर्कटौती की सुविधा भी प्रदान करता है, किन्तु इन सुविधाओं के बदले अनुसूचित बैंकोंको भारतीय


रिजर्व बैंक के पास उसके (RBI) द्वारा निर्धारित औसतदैनिक नकद कोष रखना पड़ता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 एवं बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत आवर्ती विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है।

गैर-अनुसूचित बैंक (Non-Scheduled Bank)

गैर-अनुसूचित बैंक से आशय ऐसे बैंकों से है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। परन्तु यह बैंक वैधानिक नकद आरक्षण आवश्यकताओं के अधीन है और इनको निश्चित शर्तों पर भारतीय रिजर्व बैंक के पास न रखकर अपने पास रखने का अधिकार है। गैर-अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती प्रेषण तथा उधार लेने की सुविधा नहीं प्राप्त होती है।



2. भारत में बैंकिंग की संरचना



भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी। यह वैसे कुछ केन्द्रीय बैंकों में से है जिन्होंने अपनी संस्था का इतिहास लिखा। अब तक, बैंक ने अपने इतिहास के चार खंड प्रकाशित किए हैं। 1935 से 1951 तक की अवधि के लिए पहला खंड 1970 में प्रकाशित किया गया था। इसमें भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना के लिए की गई पहल का विवरण दिया है और इसमें रिजर्व बैंक के प्रारंभिक वर्ष शामिल हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता के बाद के दौर की उन चुनौतियों पर प्रकाश डालता है जिनका सामना रिजर्व बैंक और सरकार को करना पड़ा

1951 से 1967 की अवधि से सम्बन्धित दूसरे खंड 1998 में प्रकाशित किया गया था। इस अवधि में भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास के युग की शुरुआत हुई। इस खंड में देश की आर्थिक और वित्तीय संरचना को मजबूत, संशोधित और विकसित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है।

18 मार्च, 2006 को माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक के इतिहास का तीसरा खंड जारी किया जो 1967 से 1981 तक की अवधि से सम्बन्धित है। 1969 में चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस अवधि की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे देश के भीतरी इलाकों में बैंकिंग का प्रसार किया।

17 अगस्त 2013 को रिजर्व बैंक के इतिहास के चौथे खंड का विमोचन भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। इसमें 1981 से 1997 तक के 16 साल की घटनाओं का उल्लेख है और इसे दो भागों, भाग ए और भाग बी में प्रकाशित किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में -

स्थापना -

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई।

रिजर्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकता में स्थापित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केन्द्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं।

यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।

प्रस्तावना -

भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किए गए हैं -

“भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंकनोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्राधिकृत निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना”

केन्द्रीय बोर्ड - रिजर्व बैंक का कामकाज केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है।

- नियुक्ति/नामन चार वर्ष के लिए होता है।
- गठन -
 - ❖ सरकारी निदेशक
 - ❖ पूर्ण-कालिक : गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर
- गैर-सरकारी निदेशक
 - ❖ सरकार द्वारा नामित : विभिन्न क्षेत्रों से दस निदेशक और दो सरकारी अधिकारी
 - ❖ अन्य : चार निदेशक - चार स्थानीय बोर्डों से प्रत्येक से एक

स्थानीय बोर्ड

- देश के चार क्षेत्रों, मुम्बई, कोलकता, चेन्नई और नई दिल्ली से एक-एक
- सदस्यता
- प्रत्येक में पांच सदस्य
- केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त
- चार वर्ष की अवधि के लिए

कार्य - स्थानीय मामलों पर केन्द्रीय बोर्ड को सलाह देना और स्थानीय सहकारी तथा घरेलू बैंकों की प्रादेशिक और आर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन।

वित्तीय पर्यवेक्षण

रिजर्व बैंक यह कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएल) के दिशा-निर्देशों के अनुसार करता है। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड की एक समिति के रूप में नवम्बर 1994 में की गई थी।

उद्देश्य

वित्तीय पर्यवेक्षण (बीएफएल) का प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करना है।

गठन

इस बोर्ड का गठन केन्द्रीय बोर्ड के चार निदेशकों को सहयोजित सदस्य के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए शामिल करके किया गया है तथा गवर्नर इसके अध्यक्ष हैं। रिजर्व बैंक के उप गवर्नर इसके पदेन सदस्य हैं। एक उप गवर्नर, सामान्यतः बैंकिंग नियमन और पर्यवेक्षण के प्रभारी उप गवर्नर की बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

बीएफएल की बैठकें

बोर्ड की बैठक सामान्यतः महीने में एक बार आयोजित किया जाना आवश्यक है। इस बैठक के दौरान पर्यवेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित अन्य मामलों पर विचार किया जाता है।

लेखा-परीक्षा उप समिति के माध्यम से बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की सांविधिक लेखा-परीक्षा और आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी विचार करता है। इस उप

लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष उप गवर्नर और केन्द्रीय बोर्ड के दो निदेशक इसके सदस्य होते हैं।

बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएल), गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएल) और वित्तीय संस्था प्रभाग (एफआईडी) के कार्य-कलापों का निरीक्षण करता है और नियमन तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी मामलों पर निर्देश जारी करता है।

कार्य -

बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा किये गए प्रयत्नों में निम्नलिखित शामिल हैं -

- I. बैंक निरीक्षण प्रणाली की पुनर्चना
- II. कार्यस्थल से दूर की निगरानी का लागू करना,
- III. सांविधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका को सुदृढ़ करना और
- IV. पर्यवेक्षण संस्थानों की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली का सुदृढीकरण।

वर्तमान लक्ष्य

- वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण
- समेकित लेखाकार्य
- बैंक घोखघाडी से सम्बन्धित कानूनी मामले
- अनर्जक ऋणियों के निर्धारण में विविधता
- बैंकों के लिए पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल

विधिक ढांचा

सर्वोच्च अधिनियम

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 : रिजर्व बैंक के कार्यों पर नियंत्रण करता है।
- बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 : वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण करता है।

विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम

- लोक ऋण अधिनियम, 1944/सरकारी प्रतिभूति अधिनियम (प्रस्तावित) : सरकारी ऋण बाजार पर नियंत्रण
- भारतीय सिक्का अधिनियम, 1906 : मुद्रा और सिक्कों पर नियंत्रण
- विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973/विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 : व्यापार और विदेशी मुद्रा बाजार पर नियंत्रण

बैंकिंग परिचालन को नियंत्रित करने वाले अधिनियम

- कंपनी अधिनियम, 1956 और 2013 : कंपनी के रूप में बैंकों पर नियंत्रण
- बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1080 : बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित
- बैंकर बहि शाक्ष्य अधिनियम, 1891
- बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम
- परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

अलग-अलग संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले अधिनियम

- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1954
- औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2003
- औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम
- राष्ट्रीय श्वाश बैंक अधिनियम
- निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम

प्रमुख कार्य

मौद्रिक प्राधिकारी

- मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका कार्यान्वयन करता है और उसकी निगरानी करता है।
- उद्देश्य - विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।

वित्तीय प्रणाली का विनियामक पर्यवेक्षक

- बैंकिंग परिचालन के लिए विश्रुत मानदंड निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है।
- उद्देश्य - प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना।

विदेशी मुद्रा प्रबंधक

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का प्रबंध करता है।
- उद्देश्य - विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना।

मुद्रा जारीकर्ता

- करेंसी जारी करता है और उसका विनिमय करता है अथवा परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और शिक्कों को नष्ट करता है।
- उद्देश्य - आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और शिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना।

विकासात्मक भूमिका

- राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनत्मक कार्य करना।

सम्बन्धित कार्य

- सरकार का बैंकर : केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका बढ़ा करता है, उनके बैंकर का कार्य भी करता है।
- बैंकों के लिए बैंकर : सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखता है।

कार्यालय

- 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 04 उप कार्यालय हैं जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं

प्रशिक्षण संस्थान

पांच प्रशिक्षण संस्थाएं हैं -

- दो संस्थाएं नामतः कृषि बैंकिंग महाविद्यालय रिजर्व बैंक के अंक हैं।
- अन्य स्वयत्त संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईआर), बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआईबीटी)

प्रशिक्षण संस्थाओं पर अधिक जानकारी के लिए कृपया उनके वेबसाइट लिंक देखें जो अन्य लिंकों में उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- सन् 1925-26 ई. में हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) ने सरकार को बताया कि भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाए।
- इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया जिसकी स्थापना सन् 1921 ई. में गयी थी, पूर्ण रूप से केन्द्रीय बैंक-का-कार्य नहीं कर रहा था। नोट छापने का

अधिकार सरकार-को-था. और बैंकों के बैंक (Banker's Bank) की हैसियत-से इम्पीरियल बैंक ही कार्य करता था।

- इम्पीरियल बैंक देश के अन्य बैंकों से प्रतियोगिता करता था। अतएव अन्य को इस पर विश्वास नहीं रहने के कारण इसे केन्द्रीय बैंक बनाना उचित नहीं था।
- इम्पीरियल बैंक के लिए संभव नहीं था कि वह केन्द्रीय बैंकों के कार्यों के साथ-साथ साधारण बैंकिंग के कार्य भी कर सके। इसका संचालन-मण्डल यह मानने को तैयार नहीं था कि इम्पीरियल बैंक साधारण बैंकिंग-कार्य को छोड़ दे।
- मुद्रा तथा शाख पर सरकार एवं इम्पीरियल बैंक का दोहरा नियन्त्रण दोषपूर्ण था और इसके लिए केन्द्रीय बैंक का होना अत्यन्त आवश्यक था। ऐसी स्थिति में सरकार ने भी अनुभव किया कि एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाए। सन् 1934 ई. में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट पास किया गया और इसके अनुसार अप्रैल, 1935 ई. को रिजर्व बैंक ने संस्थाधारियों के बैंक के रूप में अपना कार्य शुरू किया।
- 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक के राष्ट्रीकरण के साथ ही 'बैंकिंग नियमन अधिनियम' पारित किया गया जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक बैंकों पर नियन्त्रण रखने का विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गया।
- आर. बी. आई. की स्थापना 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। इसमें भारत सरकार का शेयर 5 प्रतिशत था और शेयर पूंजी 5 करोड़ (जोकि अब तक है) की थी।
- यह बैंक वास्तविक तौर पर उस समय के बेहतरीन विदेशी केन्द्रीय बैंकों के मॉडल पर शेयर पूंजी 5 करोड़ रुपये का 100 रुपये मूल्य के 5 लाख के शेयरों में बांटा गया।
- प्रारम्भ में, केन्द्रीय सरकार को आवंटित 2,200 शेयरों को छोड़कर बाकी शेष सभी निजी शेयर धारकों के थे।
- फरवरी 1947 में बैंकों के राष्ट्रीकरण का निर्णय लिया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (ट्रान्सफर टू पब्लिक ऑनरशिप) अधिनियम 1948 के अनुसार सम्पूर्ण शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित मान ली गयी।
- 1 जनवरी, 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्र का संस्थान हो गया। 1948 का अधिनियम केन्द्रीय

सरकार को यह अधिकार देता है कि वह जनता के हित के लिए इस बैंक को निर्देश दे सकती है।

- भारत में अक्टूबर से मई तक का समय व्यापारिक दृष्टि से व्यस्त काल होता है और इस समय मुद्रा की माँग अधिक होती है। रिजर्व बैंक इस अवधि में मुद्रा के प्रचलन की मात्रा को बढ़ाता है। मई से अक्टूबर तक मुद्रा की माँग में कमी होती है, क्योंकि यह व्यापार में कमी का काल होता है। इस मंदी काल में रिजर्व बैंक मुद्रा की मात्रा में कमी करता है।
- जून, 1948 तक RBI ने पाकिस्तान के केन्द्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया था।
- 4 जनवरी, 1935 : भारतीय रिजर्व बैंक के रेग्युलेशन बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की पहली बैठक कोलकाता में हुई।
- 1 अप्रैल 1935 : शेयर धारकों के बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का जन्म हुआ। सर ओसबोर्न एस. स्मिथ (Sir Osborne S. Smith) भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। आरंभ में 'बैंक कुछ विभागों के साथ शुरू हुआ जैसे- नोटों का निर्माण, बैंकिंग कृषि शाखा विभाग, लोक ऋण कार्यालय, जमा खाता और शेयर हस्तान्तरण विभाग।
- 18 मार्च 1937 : आर. बी. आई ने बर्मा सरकार के बैंकर के रूप में कार्य किया और 18 मार्च का बर्मा मौद्रिक प्रबंध आदेश 1937 के अनुसार बर्मा में नोट भी जारी किया।
- दिसम्बर 1937 : रिजर्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय स्थायी रूप से कलकत्ता से बम्बई हस्तान्तरित किया गया।
- जनवरी 1938 : रिजर्व बैंक ने अपने करेंसी नोट जारी किये।
- 12 जनवरी, 1946 : ₹500, ₹1000 और ₹10,000 के बैंक नोट को demonetize किया गया।
- जनवरी 1947 : रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन का प्रकाशन आरम्भ किया गया।
- मार्च 1947 : विदेशी मुद्रा विनियम एक्ट 1947 (Foreign Exchange Regulation Act, 1947) पास हुआ।
- 31 मार्च, 1947 : भारतीय रिजर्व बैंक ने बर्मा के केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया।
- RBI के निर्देशानुसार बैंकों को अपनी उधारियों का कम-से-कम 40% प्राथमिकता क्षेत्र को उपलब्ध कराना होता है तथा इसमें से 18% भाग बैंकों से कृषि को उपलब्ध कराना होता है। जो बैंक इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं उनके विरुद्ध RBI

उचित कार्यवाही भी कर सकता है। विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 32% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक (State Bank Of India)

भारतीय स्टेट बैंक के उदय की शुरुआत उन्नीसवीं सदी के पहले दशक में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ। तीन वर्ष बाद इस बैंक को अगला चार्टर प्राप्त हुआ और उसे 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्गठित किया गया। यह एक अद्वितीय संस्था और ब्रिटेन शासित भारत का प्रथम संयुक्त पूँजी बैंक था जिसे बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल के उपरान्त बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना 15 अप्रैल 1840 को तथा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई, 1843 को की गई। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 27 जनवरी, 1921 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का गठन किया गया।

भारतीय स्टेट बैंक का उदय (Rise of State Bank Of India)

भारतीय स्टेट बैंक का अभ्युदय 1 जुलाई, 1955 को इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीकरण के फलस्वरूप हुआ। अगस्त 1955 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित भारतीय ग्रामीण शाख सर्वेक्षण समिति की अनुशंसा पर इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीकरण किया गया।

1959 में भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक ने पूर्ववर्ती राज्यों के सात सहयोगी बैंकों का अनुषंगी के रूप में अधिग्रहण किया। इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक का प्रादुर्भाव सामाजिक उद्देश्य के नए दायित्व के साथ हुआ। भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध किए गए 7 बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक का अनुषंगी बैंक कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक निम्नवत् हैं-

बैंक का नाम	सहायक बैंक के रूप में कार्य आरंभ करने की तिथि
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1 अक्टूबर, 1959
स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर	1 जनवरी, 1960
स्टेट बैंक ऑफ जयपुर	1 जनवरी, 1960
स्टेट बैंक ऑफ लौशाष्ट्र	1 मई, 1960
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1 अप्रैल, 1960
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1 मार्च, 1960
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	1 जनवरी, 1960
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	1 जनवरी, 1960

सहायक बैंकों के रूप में इन बैंकों का पृथक अस्तित्व बनाय रखने का एकमात्र कारण 'अपने-अपने क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति' ही था। 1 जनवरी, 1963 को स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को एकीकृत कर स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्यालय जयपुर में ही है। वर्तमान में सभी शाखाओं का विलय करके SBI एक बैंक बन गई है।

भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन (Management Of State Bank Of India)

भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन एक 20 सदस्यीय केन्द्रीय संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। बैंक के केन्द्रीय संचालक मण्डल में एक अध्यक्ष तथा 2 प्रबंध निदेशक होते हैं। इसके अतिरिक्त 17 संचालक होते हैं। इनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से करती है। केन्द्रीय संचालक मण्डल के 6 सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक के कार्य (Operations Perform By State Bank Of India)

स्टेट बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

1. बैंकों के बैंक के रूप में कार्य- बैंकों के बैंक के रूप में स्टेट बैंक निम्नलिखित कार्य करता है-
 - यह व्यापारिक बैंकों से जमाएँ स्वीकार करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण भी देता है।
 - यह व्यापारिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है।
 - यह रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में सभी व्यापारिक बैंकों के लिए समशीघ्र गृह का कार्य करता है।

2. रिजर्व बैंक का एजेंट (Agent of Reserve Bank)

रिजर्व बैंक की अनुमति से स्टेट बैंक उसके एजेंट का कार्य कर सकता है। एजेंट के रूप में यह रिजर्व बैंक द्वारा जो निर्धारित कार्य करता है उसके लिए वह कमीशन भी प्राप्त करता है। यह उल्लेखनीय है कि स्टेट बैंक अपने स्थापना के वर्ष (1955) से ही रिजर्व बैंक के एजेंट का कार्य कर रहा है।

3. ऋण देना (Lending)

स्टेट बैंक का दूसरा प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य व्यापारियों का अल्पकालीन ऋण देना है। ये ऋण सामान्यतः माल, सम्पत्तियों तथा प्रतिभूतियों की जमानत पर-
नकद शाख द्वारा, अधिविकर्ष द्वारा तथा हुण्डियों द्वारा दिये जाते हैं।

4. जमाएँ स्वीकार करना (Accept Deposits)

स्टेट बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों की भाँति जनता से विभिन्न प्रकार की जमाएँ स्वीकार करता है। अन्य व्यापारिक बैंकों की भाँति स्टेट बैंक भी चालू खाता, स्थायी जमा खाता, संचयिता खाता, बचत खाता आदि खाते खोलकर जनता की जमाओं को आकर्षित करता है। इनके द्वारा भी व्यापारिक बैंकों की भाँति व्याज दिया जाता है।

5. ग्रामीण शाख का विकास (Development of Rural Credit)

स्टेट बैंक का मुख्य कार्य ग्रामीण शाख के विभिन्न श्रृंगों का विकास करना है। अतः यह बैंक सहकारी बिक्री और गोदाम व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रयत्न करता है।

6. ग्रामीण बचत का संग्रह करना (Collecting Rural Savings)

स्टेट बैंक का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्र में अधिक शाखाएँ खोलकर उनकी बचतों का संग्रह करना है तथा ग्रामीण जनता में बचत करने की भावना को प्रेरित करना है।

7. श्रमिगोपन (Preferentiality) स्टेट बैंक द्वारा श्रंशों, ऋण-पत्रों तथा विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का श्रमिगोपन किया जा सकता है।

8. सम्पत्ति की सुरक्षा (Security Of Assests) स्टेट बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराई गई मूल्यवान वस्तुएँ (श्रंश, ऋण-पत्र, सोना, जेवर आदि) सुरक्षागृह में रखने की व्यवस्था कर सकता है।

9. ग्राहक के एजेण्ट के रूप में कार्य (Work as Customers Agent)

स्टेट बैंक अपने ग्राहक के एजेण्ट के रूप में धन का हस्तांतरण, भुगतान प्राप्त करना, ग्राहकों की और से भुगतान करना, श्रंशों और प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करना, ग्राहकों के लिए पासपोर्ट की व्यवस्था करना, ट्रस्टी का कार्य करना, ग्राहकों को आर्थिक सलाह देना आदि अनेक कार्य करता है।

10. प्रतिभूतियों में विनियोजन (Appropriation in Securities)

अन्य व्यापारिक बैंकों की तरह भारतीय स्टेट बैंक अपने कोष का सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेशन की प्रतिभूतियों तथा सरकारी ट्रेजरी में भी विनियोग करता है।

11. रकमों की वसूली (Recovery of Assests)

ग्राहकों द्वारा जमा किए गए प्रतिज्ञा-पत्र, ऋण-पत्र, श्रंश आदि की रकमें वसूल करके ग्राहकों के खातों में जमा करता है।

12. शाख-पत्रों को जारी करना तथा धन स्थातातरण सुविधा (Issuance of Letter of Credit and Money Transfer Facility)

स्टेट बैंक अपने ग्राहकों के लिए देशी-विदेशी ड्राफ्ट, शाख-पत्र आदि लिख सकता है और तार द्वारा रकमें भेजने का प्रबन्ध कर सकता है।

13. अन्य कार्य (Other Work)

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त स्टेट बैंक निम्नलिखित सामान्य बैंकिंग के कार्य भी करता है -

भी करता है- (1) सोने व चाँदी का क्रय करना, (2) बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखना, (3) यात्री चेक जारी करना (4) लघु उद्योगों एवं सहकारी समितियों को उदार शर्तों पर विशेष ऋण सुविधा देना, (5) किसानों को प्रत्यक्ष ऋण देना, (6) प्रन्यासी या ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, (7) भारत के बाहर शोधनीय विनियम-पत्र या लेटर ऑफ क्रेडिट आदि।

14. बिल (Bill)

स्टेट बैंक बिल लिखने, स्वीकार करने, खरीदने बेचने तथा कटौती करने का कार्य कर सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- भारतीय स्टेट बैंक जीवन बीमा (Life Insurance) कारोबार में पहले से ही संलग्न है। जीवन बीमा कारोबार के लिए फ्रान्स की कार्डिफ एस. ए. (Cardif S.A.) के साथ गठबन्धन कर एशबीआई लाइफ (SBI Life) नाम से अपनी अनुषंगी कम्पनी का गठन 2001 में करने किया था। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला यह देश का पहला वाणिज्यिक बैंक था। स्टेट बैंक की एशबीआई लाइफ में 74 प्रतिशत शेयर-पूँजी है।
- वर्तमान में स्वयं सहायता समूह क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक की श्रवणी भूमिका है यह देश का पहला वाणिज्यिक बैंक है जिसे नाबार्ड (NABARD) ने स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया है। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए आवास निर्माण की एक अभिनय योजना- 'सहयोग निवास' भारतीय स्टेट बैंक ने ही प्रारम्भ की है।
- ग्राहक सेवा के उन्नयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 1 जुलाई, 2010 को अपने स्थापना दिवस पर 'ग्रीन बैंकिंग चौतल' सुविधा अपनी चुनिंदा

शाखाओं में शुरू की है। 'ग्रीन चैनल काउण्टर पर बैंक के ग्राहक धन जमा करने (Deposits) एवं धनकी निकासी (Withdrawals) की 'पेपरलेस' सुविधा उपलब्ध होगी।

राष्ट्रीयकृत बैंक

(Nationalized Banks)

आईडीबीआई बैंक

(IDBI BANK)



स्थापना वर्ष (Establishment Year) : जुलाई, 1964
 मुख्यालय (The Headquarters) : मुंबई

- आईडीबीआई बैंक एक यूनिवर्सल बैंक है जो एक श्रेष्ठ कोर बैंकिंग सूचनाप्रौद्योगिकी (आईटी) प्लेटफार्म का प्रयोग कर रहा है। यह बैंक देश भर के विभिन्नकेन्द्रों में फैली अपनी कई शाखाओं और एटीएम के विशाल नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएँ तथा वित्तीय समाधान प्रदान करता है। आईडीबीआई ने दुबई में भी अपनी विदेशी शाखा खोली है तथा वैश्विक अवसरोंका लाभ उठाने के लिए विदेश में और भी शाखाएँ खोलने की इसकी योजना है।

इसका वित्तीय बाजारों का अनुभव इसे चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने और राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करते हुए भावी अवसरों का लाभ उठाने में सहायता करेगा।

संकल्प (Oath)

- सभी अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करते हुए सबसे पसन्दीदा और विश्वसनीय बैंक बनना।

ध्येय (The Goal)

- अपनी उत्कृष्ट सेवा और बेहतरीन वित्तीय समाधानों की व्यापक शृंखला के साथ ग्राहकों को ज्ञानदित करना।
- कॉर्पोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण में उत्कृष्टता को बनाये रखते हुए रिटेल क्षेत्र में अपनी पहुँच बढ़ाकर अधिक से अधिक लोगों के जीवन से जुड़ना।
- नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्य करते हुए कॉर्पोरेट अभिशासन के लिए आदर्श मॉडल बनना।

- कारोबार कार्यकुशलता में सुधार लाने और ग्राहक की अपेक्षाओं पर खराउतरने के लिए विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का प्रयोग करना।
- कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने, विकसित करने और कर्मठ एवं प्रतिबद्धमानव संसाधन तैयार करने के लिए सकारात्मक, सक्रिय एवं कार्य-निष्पादनआधारित कार्य-संस्कृति को प्रोत्साहित करना।

- विश्व स्तर पर पहुँच को बढ़ाना।
- हरित संरक्षी बनने के लिए निरंतर प्रयास करना।

आईडीबीआई के गठन के सम्बन्ध में जानकारी
(Information Regarding IDBI Bank Formation)
 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank Of India)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून, 1964 की अधिसूचना के द्वारा 01 जुलाई, 1964 से अस्तित्व में आया। इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए के प्रावधानों के अन्तर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। सन् 2004 तक यानी, 40 वर्षों तक इसने वित्तीय संस्था के रूप में कार्य किया और 2004 में इसका रूपान्तरण एक बैंक के रूप में हो गया।

इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड (Industrial Development Bank Of India Ltd) -

आवश्यकता महसूस होने और वाणिज्यिक विवेक के आधार पर आईडीबीआई को बैंक के रूप में रूपांतरित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 को निरस्त करते हुए इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया (उपक्रम का अन्तर्ण व निरस्तन) अधिनियम, 2003 (निरस्तन अधिनियम) पारित किया गया। निरस्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अधिनियम के अधीन 27 सितम्बर, 2004 को इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड (आईडीबीआई लि.) के नाम से एक नई कम्पनी सरकारी कम्पनी के रूप में निर्गमित हुई। तत्पश्चात प्रभावी तारीख 01 अक्टूबर, 2004 से का उपक्रम आईडीबीआई (आईडीबीआई लि.) के नाम से एक नई कम्पनी सरकारी कम्पनी के रूप में निर्गमित हुई। तत्पश्चात प्रभावी तारीख 01 अक्टूबर, 2004 से आईडीबीआई का उपक्रम के आईडीबीआई लि. में अंतरित व निहित कर दिया गया। निरस्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आईडीबीआई लि. वित्तीय संस्था

की अपने पूर्ववर्ती भूमिका के अतिरिक्त बैंक के रूप में कार्य कर रहा है।

आईडीबीआई बैंक लि. का आईडीबीआई लि. में विलय (Merger Of IDBI Bank Ltd. With IDBI Ltd): बैंक की इनऑर्गेनिक वृद्धि के लक्ष्य को पाने के प्रयासों में और तेजी लाने के उद्देश्य से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44 ए के प्रावधानों के तहत जिसमें दो बैंकिंग कंपनियों के र्वैच्छक समामेलन का प्रावधान है, आईडीबीआई लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था आईडीबीआई बैंक लि. का आईडीबीआई लि. में समामेलन कर लिया गया यह विलय 02 अप्रैल, 2005 से प्रभावी हो गया।

यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. का आईडीबीआई लि. में विलय (Merger Of United Western Bank Ltd. With IDBI Ltd.): शतारा में केन्द्रित निजी क्षेत्र के बैंक-दि यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. (यूडब्ल्यूबी) को भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिस्थगन के अन्तर्गत रखा था। अपनी इनऑर्गेनिक वृद्धि में और तेजी लाने के मकसद से आईडीबीआई लि. द्वारा उक्त बैंक का अधिग्रहण करने की इच्छा प्रकट किये जाने पर, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने यूडब्ल्यूबी को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के प्रावधानों के तहत आईडीबीआई लि. में समामेलित कर दिया। यह विलय 03 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी हुआ।

आईडीबीआई लि. का नाम आईडीबीआई बैंक लि. में परिवर्तित (Ltd's Name Changed to IDBI Bank Ltd.)- इस उद्देश्य से कि बैंक के नाम से इसके द्वारा किये जा रहे कार्य स्पष्ट रूप से झलकें, बैंक का नाम बदल कर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड कर दिया गया। यह नया नाम कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र द्वारा निगमन प्रमाणपत्र के जारी किये जाने के साथ ही 07 मई, 2008 से प्रभावी हो गया है। तदनुसार, बैंक अब आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मौजूदा नाम के साथ कार्य कर रहा है।

ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce)



स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1943 (लाहौर में)
संस्थापक (Founded By): रामबहादुर लाल सोहनलाल
राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980
मुख्यालय (The Headquarters): नई दिल्ली

- ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स भारत में शार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है जिसे 19 फरवरी, 1943 को लाहौर में स्थापित किया गया।

- ओरियण्टल बैंक ऑफ देहरादून और जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) में ग्रामीण प्रोजेक्ट चला रहा है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के ढांचे पर बनाई गई। इस योजना में 75 (2 अमेरिकी डॉलर) व इससे अधिक राशि के छोटे ऋणों का शंवितरण करने की अणूठी विशेषता है।

- ग्रामीण प्रोजेक्ट के लाभग्राही अधिकांशतः महिलाएँ हैं बैंक ग्रामीणों को प्रशिक्षण देता है ताकि वह स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल से अचार, जैम इत्यादि बना सकें। इससे ग्रामीणों को स्व-रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं और उनकी आय में वृद्धि होने से उनके जीवन स्तर में सुधार आया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है।

- श्रीबिबी ने बैराखी के पावन दिवस पर 13 अप्रैल, 1997 को पंजाब के तीन गाँवों (रुडकी कलान (जिला रांगरूर), राजे माजरा (जिला रोपड़) और खैर माझा (जिला जालंधर) और हरियाणा के दो गाँवों-खुंगा (जिला जींद) और नखवाल (जिला कैथल) में 'व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम' नामक एक और अणूठी योजना शारम्भ दी।

- पायलट आघार पर प्रवर्तित यह योजना अत्यन्त सफल हुई इसकी सफलतासे उत्साहित होकर बैंक ने इस कार्यक्रम का विस्तार अन्य गाँवों में भी किया। इस समय यह कार्यक्रम 15 गाँवों में लागू है जिसमें 10 पंजाब में, 6 हरियाणा में और 1 राजस्थान में है।

- इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास को केन्द्रित करते हुए ग्रामवासियों को ग्रामवित्त प्रदान करने हेतु व्यापक और शमेकित पैकेज प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इस प्रकार यह कार्यक्रम गाँव के प्रत्येक किसान की आय बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है।

- बैंक ने महिलाओं को ऋण देने में तेजी लाने के लिए 14 सूत्रीय कार्ययोजना लागू की है और 5 शाखाओं को महिला उद्यमियों के लिए विश्लेषणीकृत शाखाओं के रूप में नामित किया है।

14 अगस्त, 2004 को निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स में विलय किया है।

कॉर्पोरेशन बैंक (Corporation Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year)

12 मार्च, 1906

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980

मुख्यालय (The Headquarters): बंगलुरु (कर्नाटक)

- कॉर्पोरेशन बैंक की स्थापना केनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन(उडुपि)लिमिटेड केनाम से उडुपि के मन्दि-शहर में क्रांतदर्शियों के एक समूह के पुरोगामी प्रयत्नों से हुई। बैंक ने अपना प्रारंभ 5000 से किया था तथा पहले दिनकी समाप्ति पर संसाधन 38 रूपये 13 आना 2 पाई था।
- लोगों की दीर्घकालिक बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बचत की आदत भी डालने के लिए प्रतिबद्ध संस्थापक अध्यक्ष खान बहादुर हाजी अब्दुल्ला हाजी काशिम शाहेब बहादुर ने समाज में समृद्धि लाने वाली वित्तीय संस्था की संस्थापना पर अत्यधिक जोर दिया।
- बैंक की पहली शाखा कुंदापुर में 1923 में खोली गई, तत्पश्चात् मंगलूरु में 1926 में दूसरी शाखा खोली गई।
- बैंक ने 1934 में मडिकेरी में अपनी सातवीं शाखा खोलते हुए तत्कालीन कर्णाट राज्य में कदम रखा। बैंक को 1937 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया।
- 1939 में बैंक का नाम केनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन (उडुपि) लिमिटेड से 'केनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड' में परिवर्तित किया गया तथा आदर्श-वाक्य 'सर्वे जना सुखिनो भवन्तु' जिसका अर्थ है 'सभी जन सुखी रहे' को अपने दर्शन के रूप में पेश किया गया।
- बैंक के नाम में दूसरा परिवर्तन 'केनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड' से जोडना कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड' 1972 में हुआ तथा 15 अप्रैल, 1980 को बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद 'कॉर्पोरेशन बैंक' हो गया।
- इन सब के बीच में वर्ष 1985 में बैंक ने 1000 करोड़ जमा का लक्ष्य पार किया तथा 1990 से नई प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए उच्च गुणवत्तायुक्त संवृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करना प्रारंभ किया।

- भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार के प्रथम चरण की समाप्ति में बैंक आर्थिक, गुणवत्ता, पूँजी पर्याप्तता, परिचालनगत समक्षमता, सुविविधीकृत आय आधार, लाभप्रदता, उत्पादकता तथा शुद्ध तुलन-पत्र में अन्य बैंकों से आगे बढ़ते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे नवोन्मेषी तथा सक्रिय बैंक के रूप में उभर रहा है।

- दुबई तथा हांगकांग में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय हैं। संप्रति बैंक का देशभर में 1361 पूर्णतः स्वचालित टीबीएस शाखाओं, 1250 एटीएमों तथा 2500 शाखा रहित बैंकिंग इकाइयों का नेटवर्क है। बैंक ने अगले पाँच वर्षों में 700 नई शाखाएँ खोलने की योजना भी बनाई है। बैंक ने 2500 गाँवों में शाखारहित बैंकिंग इकाइयाँ प्रारंभ की हैं तथा इन गाँवों के सभोखाताधारकों को स्मार्ट कार्ड जारी किया है ताकि वे बैंक द्वारा नियुक्त कारोबार साथी के द्वारा अपनी दहलीज पर अपने खाते परिचालित कर सकें।

विजया बैंक

(Vijaya Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year)

23 अक्टूबर, 1931

संस्थापक (Founded By): ए. बी. शेट्टी

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980

मुख्यालय (The Headquarters): बंगलुरु (कर्नाटक)

- स्वर्गीय ए.बी. शेट्टी और अन्य उद्यमशील किसानों ने 23 अक्टूबर, 1931 को कर्नाटक राज्य के मंगलूरु शहर में विजया बैंक की नींव डाली। इसके संस्थापकों का मूल उद्देश्य था, कर्नाटक राज्य के दक्षिण में कन्नड जिले के किसान समुदाय में बैंकिंग की आदत डलवाना, मितव्ययिता कामहत्व समझाना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। 1958 में विजया बैंक एक अनुसूचित बैंक बना।
- 1963-68 के दौरान नौ छोटे-छोटे बैंकों के विलयन के साथ विजया बैंक, धीरे-धीरे अखिल भारतीय स्तर के एक बहुत बड़े बैंक के रूप में उभरा। विलय प्रक्रिया को सफलता से अमल में लाने और बैंकों को तस्करी के सस्ते पर लाने का श्रेय एम. सुंदर राम शेट्टी को मिलना चाहिए जो 35 समय बैंक के मुख्य कार्यपालक थे। 15 अप्रैल, 1980 को बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ।

- देश भर में बैंक के तमाम 28 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में तथाजुलाई 2007 को बैंक की 985 शाखाएं, 52 विस्तार काउंटर, 171ए.टी.एम, हैं।
- बेंगलुरु में एटीएम की शुरूआत सर्वप्रथम विजया बैंक ने की थी।
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year) : 1908
राष्ट्रीयकरण (Nationalization) 15 अप्रैल, 1980
मुख्यालय (The Headquarters): नई दिल्ली
वर्ष 1908 में जब भाई वीर सिंह, शर सुन्दर सिंह मजीठिया तथा शरदार तिरलोचन सिंह जैसे दूरदर्शी तथा विद्वान व्यक्तियों के मन में देश के गरीब रोगीब व्यक्ति का जीवन स्तर उठाने का विचार आया तब पंजाब एण्ड सिंध बैंकका जन्म हुआ। बैंक की स्थापना समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिकउत्थान द्वाारा उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने हेतु सामाजिक वचनबद्धता के सिद्धांतों पर की गई। 100 वर्ष बीत जाने पर भी आज पंजाब एण्ड सिंध बैंक अपने संस्थापकों की सामाजिक वचनबद्धता को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध है।

आन्ध्रा बैंक (Andhra Bank)

स्थापना वर्ष (Establishment Year)
20 नवम्बर, 1923



संस्थापक (Founded By): डब्ल्यू. बी. पट्टाभि तीतारमैया
राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980
मुख्यालय (The Headquarters): हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

- आंध्रा बैंक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी एवं बहुमुखी प्रतिभाशाली डॉ. भोगराजुपट्टाभि तीतारमैया द्वारा स्थापित किया गया। बैंक को 20 नवम्बर, 1923को पंजीकृत किया गया और 1.00 लाख की प्रदत्त पूँजी एवं 10.00 लाखकी प्राधिकृत पूँजी के साथ 28 नवम्बर, 1923 को व्यापार प्रारम्भ किया गया।

- श्रमन्तता का सिम्बल यह सूचित करता है कि बैंक ग्राहकों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। शीर्ष का नीलासूचक बैंक के उच्च दर्शन का प्रतीक है जो सर्वदा विकास एवं नई दिशाओं की ओर बढ़ना चाहता है। कुंजीछिद्र निरापद तथा सुरक्षा का सूचक है। श्रृंखला मैत्री को इंगित करता है। लाल एवं नीला रंग गतिशीलता एवं शुद्धता के मिश्रण को इंगित करता है।

- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक
- ऋषिकुल्य ग्रामीण बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra)



स्थापना वर्ष (Establishment Year):
1935

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969
मुख्यालय (The Headquarters): पुणे (महाराष्ट्र)

- 1936 में पुणे में बैंक के परिचालन का प्रारम्भ हुआ। बैंक की दूसरी शाखा 1938 में फोर्ट, मुम्बई में खोली गई। 1940 में बैंक की तीसरी शाखा डेक्कन जिमखाना, पुणे में शुरू हुई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 1944 में अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ।
- 1964 में इसकी जमा राशियों ने एक करोड़ रूपए की सीमा पार की। पूरी तरह से अपने स्वामित्व में एक सहायक कम्पनी दी महाराष्ट्र एक्विजिज्यूटिव एण्ड ट्रेस्टी कम्पनी गठित की। महाराष्ट्र के बाहर की पहली शाखा हुबली (मैसूर राज्य, अब कर्नाटक) में खोली गई।
- 1949 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आंध्र प्रदेश में विस्तार हुआ और हैदराबाद शाखा खोली गई। 1963 में गोवा में विस्तार के रूप में पणजी शाखा खोली गई। 1966 में मध्य प्रदेश में विस्तार हुआ और इन्दौर शाखा खोली गई। इसके बाद बैंक का गुजरात में प्रवेश हुआ और बड़ोदरा शाखा खोली गई।
- 1969 में अन्य 13 बैंकों के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1969 में ही कौल बाग शाखा खोलकर बैंक ने दिल्ली में प्रवेश

किया। 1974 में इसकी जमा राशियों ने ₹. 100 करोड़ का लक्ष्य पार किया।

- बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र ने 1976 में मराठवाडा ग्रामीण बैंक के नाम से पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किया। 1978 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा बैंक अहमदाबाद महाराष्ट्र के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही इसी वर्ष बैंक की जमा राशियों ने ₹. 500 करोड़ का लक्ष्य पार किया।
- बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र ने 1979 में अनुसन्धान तथा विस्तृत कार्य शुरू करने एवं किसानों को अधिक विस्तृत सेवाएँ प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र कृषि अनुसन्धान और ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान (महाबैंक एग्रीकल्चर रिसर्च एण्ड रूरल डवलपमेन्ट फ़ाउण्डेशन) नामक सार्वजनिक न्याय स्थापित किया। इसके 6 साल बाद 1985 में महाराष्ट्र राज्य की 500वीं शाखा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों नरीमन पॉइंट, मुंबई में खोली गई।
- 1986 में बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र ने ठाणे ग्रामीण बैंक को प्रायोजित किया। 1987 में पुणे में बैंक की 1000वीं शाखा इन्दिरा वसाहत, बिबवेवाडी में भारत के उप राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा के हाथों खोली गई। 1991 में महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया, घरेलू क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में प्रवेश किया गया, मेन फ्रेम कम्प्यूटर स्थापित किया गया और एन.डब्ल्यू.आई.एफ.टी. (स्विफ्ट) का सदस्य बन गया।
- 1995 में बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र की हीटक जयन्ती मनाई गई। इसी साल बैंक की जमा राशियों ने 5000 करोड़ का लक्ष्य पार किया। 1996 में बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र पहले 'सी' श्रेणी से 'ए' श्रेणी में दाखिल हुआ और इसे स्वायत्तता प्राप्त हुई।
- 2000 में बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र की जमा राशियों ने 10,000 करोड़ का लक्ष्य पार किया। 2004 में इसके शेयरों का सार्वजनिक निर्माण किया गया। बी.एस.ई. और एन.एस.ई. में सूचीबद्ध हुए बैंक का सार्वजनिक

निर्माण द्वारा 24% का स्वामित्व हस्तांतरित किया गया।

- 2005 में बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र ने बैकअपुटेन्स और म्युचुअल फंड वितरण व्यवसाय शुरू किया। 2006 में इसके कुल व्यवसाय का स्तर 50,000 करोड़ पार कर गया। 2006 में ही बैंक में शाखा सीबीएस परियोजना प्रारम्भ की गई।
- 2009 में बैंक ने राष्ट्र की समर्पित सेवा के 75वें वर्ष में प्रवेश किया। इस अवसर पर एकीकृत सर्वांगीण विकास के लिए 75 अल्प विकसित देहातों को अंगीकृत किया गया। 2010 में 100 प्रतिशत सीबीएस शाखाओं का लक्ष्य हासिल किया गया। इसी साल बैंक के कुल व्यवसाय में एक लाख करोड़ रूपए का लक्ष्य पार किया। 2010 तक बैंक की कुल शाखा संख्या 1506 हो गई।
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
- वेनगंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1937

संस्थापक (Founded By): एम. चिदम्बरम चेट्टियार

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): चेन्नई (तमिलनाडु)

- इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) की स्थापना श्री एम. टी. टी. एम. चिदम्बरम चेट्टियार ने की जो बैंकिंग बीमा व उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी थे। बैंक की स्थापना उन्होंने दो उद्देश्यों से की थी- विदेशी विनिमय व्यवसाय तथा विदेशी बैंकिंग में विशिष्टता।
- आई.ओ.बी. की यह एक अनोखी विशेषता थी कि 10 फरवरी 1937 (उद्घाटन दिवस को ही) को